

संख्या - इस्म 666/ 15-7-15(704)/1999

प्रेम

श्री अशोक शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्राता उपखण्ड नई दिल्ली ।

लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 1999

शिक्षा 278 अनु-111

विषय:- केम्पियो पब्लिक स्कूल लुजा बुलन्दशहर को सी.पी.एस.ई.नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आपरिस्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना ।

संदर्भ,

अर्शुत विभाग पर भुजे यह कले का निर्देश हुआ है कि केम्पियो पब्लिक स्कूल लुजा बुलन्दशहर को सी.पी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आपरिस्त प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नीनीगत प्रतिक्रियो के अन्तर्गत आपरिस्त नही है ।

1] विद्यालय की पंजीकृत सीसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2] विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3] विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुचित वर्ग/ अनुचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित करेंगे और उन्ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अधालित विद्यालयों में शिक्षा निदेशक के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा ।

4] विद्यालय का राज्य सरकार से विलो अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अध्यात्मिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/सीसायत कार 15 अध्यात्मिक स्कूल ताडीफोले अलागिेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्पत्त हो जायेगी ।

Mumali
Head Mistress
K.P. Public School
Khurja

Kell
Manager
K.P. Public School
...2/KHURJA

15] संस्था शीर्षक एवं विशिष्टीकरण कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तों नहीं दिये जायेंगे ।

16] कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अथवा तत्काल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगी ।

17] राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो नयी आदेशा निर्गमित किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18] विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।

19] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन प्रस्तावना या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

20] संस्था यह भी होगी कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय

21] सी.बी.एस.ई. नयी दिल्ली के मानकानुसार 2 एड्स शर्तों की व्यवस्था की जाय ।

22] उक्त उक्त निर्धारित माप के पूर्ण कराये जाय ।

23] छात्र/छात्राओं से प्रवेश शुल्क तथा काशनमनी चार्ज न किया जाय अथवा प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिय अनिवार्य होगा और

उक्त समय से पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या विशिष्टता पायी है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भावदीय

॥ अशोक गभुली ॥
संयुक्त सचिव

Mumukshu
Head Mistress
K.P. Public School
Khurja

Jell
Manager
K.P. Public School
KHURJA